


27.01.2026

1
21122 केवल
उपस्थित
C.Me
Identified by
वकील वकील

वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर
पत्रावली आज हलब की गई। वादी 1,
1/2 व 2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 प्रथम
अधिवक्ता उपस्थित। वादीगण अधिवक्ता द्वारा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 शीपी
का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर उप
पक्षकारान अधिवक्ता की बल रुनी गई।

10.00) सवाना



सिपकनकर

इसके

Identified

~~Signature~~



नाम
का

संख्या

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी
हुर

वादीगण अधिवक्ता की बहस है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया है लिहाजा माफिक राजीनामा सख्त मौजा सावरडा के वादग्रस्त खसरा संख्या 566, 567, 605 व 66 रकबा क्रमशः 3.1161, 2.2743, 0.1133 व 6.4506 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को खसरा संख्या 108, 109, 155, 156, 157, 601, 602 व 605 रकबा 4.0711, 1.4002, 0.5666, 0.9146, 1.6187, 1.3112, 1.7078 व 0.3238 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा खसरा संख्या 498 रकबा 3.1661 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार घोषित किया जाकर माफिक राजीनामा डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने माफिक राजीनामा डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति जाहिर की।

लिहाजा वादीगण का वाद वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुये राजनीमा के तहम माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा सावरडा के वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 566, 567, 605 व 66 रकबा क्रमशः 3.1161, 2.2743, 0.1133 व 6.4506 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को खसरा संख्या 108, 109, 155, 156, 157, 601, 602 व 605 रकबा 4.0711, 1.4002, 0.5666, 0.9146, 1.6187, 1.3112, 1.7078 व 0.3238 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा खसरा संख्या 498 रकबा 3.1661 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। पक्षकारन अपना-अपना खर्चो स्वयं वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना,

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

वादीगण:-

1. स्व. भवानीसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा के वारिसान:-
1/1 सुरेन्द्रसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा
1/2 छत्रपालसिंह पुत्र दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा
1/3 सरोज कंवर पुत्री दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा
1/4 प्रमोद कंवर पुत्री दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा
2. श्रीमती सायरकंवर पत्नी दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. आमसिंह पुत्र स्व.दुर्गसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. श्रीमती पवनकंवर पत्नी आमसिंह जाति राजपूत निवासी सांवरडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. गोदवरीदेवी पत्नी रिकबाराम जाति नाई निवासी सांवरडा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :-27.01.2026

मुकदमा नंबर :-70/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी व मिनजानिव मुद्दई श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर डिक्री दी जाती है वादीगण का वाद पत्र माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा सांवरडा के वादग्रस्त भूमियां खसरा संख्या 566, 567, 605 व 66 रकबा क्रमशः 3.1161, 2.2743, 0.1133 व 6.4506 हैक्टेयर भूमि में वादीगण को खसरा संख्या 108, 109, 155, 156, 157, 601, 602 व 605 रकबा 4.0711, 1.4002, 0.5666, 0.9146, 1.6187, 1.3112, 1.7078 व 0.3238 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को तथा खसरा संख्या 498 रकबा 3.1661 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार समदडी को माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेशित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.01.2026 को जारी की गई।



(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
S.D.O सिवाना